न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 52 / 2024

भंवर लाल दाहिमा पुत्र श्री किशनलाल जाति खटीक उम्र 72 वर्ष निवासी बजरंग कॉलोनी, वार्ड नम्बर 4, मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर (राज)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल आयु बालिग जाति खटीक
2. जितेन्द्र पुत्र भंवरलाल आयु बालिग जाति खटीक
3. श्रीमती किरण पत्नी बंशीलाल आयु बालिग जाति खटीक
4. श्रीमती बिन्दु पत्नी जितेन्द्र आयु बालिग जाति खटीक

सर्वनिवासीगण बजरंग कॉलोनी, वार्ड नम्बर 4, मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 29.10.2024 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी किशनगढ) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 3/2/...2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़) के आदेश दिनांक 29.10.2024, जिसमें "प्रार्थी (अपीलान्ट), अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) हैं। अपीलार्थी / प्रार्थी व्योवृद्ध व्यक्ति है, प्रार्थी / अपीलांट की चल अचल सम्पत्ति को अपनी खून पसीने की कमाई से अर्जित कर अपने मकानो का निर्माण करवाया गया प्रत्यर्थीगण ने अपने पुत्र व पुत्रवधुऐ होने का कोई भी कर्तव्य कभी नहीं निभाया था और ना ही प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के साथ प्रार्थी के पैसो को धोखे से हडपने तथा प्रार्थी के मकानात पर जबरन सम्पूर्ण कब्जा कर मारपीट व गाली गलौच करना रोजाना की आदत हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्यो को नजर अन्दाज कर आदेश दिनांक 29.10.2024 को पारित किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 लगायत 4 स्वयं उपस्थित हुये। जवाब प्रस्तुत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ में अपीलार्थी द्वारा धारा 5 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा धारा 21, 22, 23 वरिष्ठ नागरिको के जीवन व संरक्षा के तहत पेश प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्रो के चरणो के

जिला कलक्टर
अजमेर

अनुसार प्रार्थी के साथ मारपीट, गाली गलौच व प्रार्थी की पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार के चलते प्रार्थी ने अपने दोनो पुत्रो व पुत्रवधूओ के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया तथा माननीय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय किशनगढ ने प्रार्थी के स्वयं नगर परिषद किशनगढ से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होने तथा भरण पोषण की अप्रार्थीगणो पर निर्भरता को दरकिनार कर प्रार्थी की चल अचल सम्पत्ति पर प्रार्थी का अधिकार माना तथा अप्रार्थीगणो को केवल मात्र आंशिक रूप से स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के साथ प्रार्थी के आधिपत्य के आवासीय मकान में शांतिपूर्वक निवास करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के आदेश दिये। प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी व्योवृद्ध व्यक्ति है जो कि सवैधानिक कानून के अनुसार वृद्ध व्यक्ति को उक्त धारा के अनुसार अपने अधिकारो को कोर्ट के जरिये प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त चल अचल सम्पत्ति को अपनी खून पसीने की कमाई से अर्जित कर अपने उक्त मकानो का निर्माण करवाया था जिस पर सिर्फ और प्रार्थी का ही आधिपत्य रहा है। प्रार्थी ने अपने दोनो पुत्रो (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2) के प्रति शुरू से अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया था तथा उन्हे अच्छी शिक्षा देकर काबिल बनाया ताकि व अपनी पत्नी व बच्चो का भरण पोषण अच्छे से कर सके। इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण ने अपने पुत्र व पुत्रवधुऐ होने का कोई भी कर्तव्य कभी नहीं निभाया था और ना ही प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के साथ प्रार्थी के पैसो को धोखे से हडपे तथा प्रार्थी के मकानात पर जबरन सम्पूर्ण कब्जा कर मारपीट व गाली गलौच करना रोजाना की आदत हो गई। जब प्रत्यर्थीगणो द्वारा ही अपने माता पिता को अनदेखा कर केवल मात्र उनकी सम्पत्ति को हडपने की नियत से तथा रूपयो की जबरन छीनकर अपने पुत्र होने के कर्तव्यों पर कुठाराघात लगाया है जो कि सरसर गलत व अपमान जनक है जिसके लिए प्रार्थी ने अपने साथ अपने पुत्रो के द्वारा किये गये अत्याचारो से परेशान होकर प्रार्थी ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगणो को बेदखल करने बाबत आम सूचना अखबार में भी प्रकाशित करवाई थी तथा प्रार्थी द्वारा अपनी बजरंग कॉलोनी मदनगंज स्थित स्वयं की सम्पत्ति मकान गांव रामनेर ढाणी में स्थित कृषि भूमि पर भी प्रार्थी ने अपने नाम बिजली बिल व नल के बिल पत्रावली पर संलग्न करवाई। प्रार्थी को प्रत्यर्थीगणो ने अपने स्वयं के मकानो में से रहने के लिए केवल मात्र छोटे से कमरे के जबरन रखा हुआ था जहां प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी का दल घुटता था। प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी को अपने दोनो पुत्रों द्वारा भरण पोषण की व्यवस्था नैतिक व कानूनी दृष्टि से अति आवश्यक है। तथा प्रार्थी/अपीलार्थी अपने स्वअर्जित चल अचल सम्पत्ति को जिसे चाहे दे सकते है। प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के साथ होने वाले अत्याचार के कारण प्रार्थी के दोनो बच्चो बंशीलाल व जितेन्द्र ने प्रार्थी के साथ अपने सबंधो को दरकिनार कर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र माता पिता व वरिष्ठ नागारिको का जीवन संरक्षण के तहत प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति पर केवल मात्र प्रार्थी का ही निहित है। प्रार्थी ने अपने पेश किए प्रार्थना पत्र में किए गए अभिकथन तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है और प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में पत्रावली पर पेश साक्ष्यो को मध्यनजर रखते हुए तथा प्रार्थी द्वारा शुरू से अपने पिता धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किए जाने के कारण प्रार्थी को अपने दोनों पुत्रो से अपनी वृद्धावस्था में सम्पूर्ण देखभाल तथा उपयुक्त भरण पोषण प्राप्त करना कानूनी व नैतिक अधिकार प्राप्त है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकार भरण पोषण न्यायाधिकरण किशनगढ ने प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर पूर्णरूप से प्रार्थी के साथ न्याय नहीं किया है। केवल मात्र प्रार्थना पत्र औपचारिक आदेश मात्र पारित किए है जबकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपने व अपनी पत्नी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

के साथ प्रत्यार्थीगणो द्वारा जो अत्याचार किए गए है तथा प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति को हडपने के लिए प्रार्थी की मानसिक स्थिति पर भी प्रत्यर्थीगणों द्वारा आघात किया गया है जिसके कारण प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी का अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति में रहना दुश्चार कर दिया है और प्रार्थी को प्रार्थी की सम्पत्ति से कोई भी हिस्सा ना देना पड़े इसलिए प्रार्थी की पुत्रवधुओ ने प्रार्थी पर अनर्गल आरोप लगाकर पुलिस थाना गांधीनगर में भी शिकायत दी जिसके बाद प्रार्थी के मन में प्रत्यर्थीगणो के विरूद्ध संबधो मे खटास पैदा हो गई। इसी तरह अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का मुख्य कारण अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.एम किशनगढ द्वारा प्रार्थी की व्योवृद्ध स्थिति तथा पत्रावली में प्रार्थी के समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्यो को भी नजर अन्दाज कर आंशिक आदेश पारित किया जो कि गलत है और प्रार्थी के प्रति पूर्ण न्याय नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थीगणों को अपीलार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति से बेदखल करने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपने जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी स्वयं नगर परिषद किशनगढ से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होने तथा भरण पोषण की अप्रार्थीगणो पर निर्भरता को दरकिनार कर प्रार्थी की चल अचल सम्पत्ति पर प्रार्थी का अधिकार माना तथा अप्रार्थीगणो को केवल मात्र आंशिक रूप से स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगणो को प्रार्थी के साथ प्रार्थी के आवासीय मकान में शांतिपूर्वक निवासी करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई अपीलार्थी ने जबाबकर्ता संख्या 1 व 2 को ठीक ठाक शिक्षा दीक्षा दिलायी इसलिये ही हम आज केवल मात्र मजदूरी करके अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे और हम प्रत्यर्थीगण अपने पिता का पूरा मान सम्मान करते है, हमने मकान हडपने का ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। हमने कभी अपने माता–पिता यानि अपीलार्थी का कभी भी अनादरण नहीं किया गया। सम्पत्ति अप्रार्थी के नाम ही नहीं तो सम्पत्ति हडपने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। व रूपये छीनने का जो आरोप लगाया है वह हम प्रत्यर्थीगण मेहनत मजदूरी करके अपने व अपने बच्चो का पालन पोषण कर रहे है और जबदस्ती कौन पुत्र है जो अपने माता–पिता से छीनकर लेगा। प्रत्यर्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष उपस्थित होकर उक्त सम्पत्ति से हमारे अपीलार्थी ने बेदखल कर दिया जिसका राजीनामा के जरिये हम वर्तमान में किराये के मकान में रह रहे है। प्रत्यर्थीगण का भरण पोषण का दायित्व बनता है वो हम प्रत्यर्थीगण निभाने को तैयार है लेकिन अपीलार्थी एक सरकार कर्मचारी होने के नाते व रिटायर्ड होने के नाते पेंशनधारी होने के बावजूद भी हम प्रत्यर्थीगण को नाजायज रूप से हेरान व परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थीगण अभी वर्तमान में अपीलार्थी की सम्पत्ति में निवास ही नहीं कर रहे तो बेदखल का प्रश्न ही कहा उत्पन्न होता है। इस प्रकार के बेबुनियादी आरोप प्रत्यारोप लगाकर हम प्रत्यर्थीगण को हेरान व परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज फरमावे।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 07/2024 बउनवान भंवरलाल दाहिमा बनाम बंशीलाल व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–05 माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिको

जिला कलक्टर
अजमेर

का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 तथा धारा 21, 22 व 23 वरिष्ठ नागरिको के जीवन और संरक्षा के तहत भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलार्थी ने अपील में स्वयं स्वीकार किया गया कि अपीलांट नगर परिषद किशनगढ से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। अधिनियम की धारा 9 (1) के प्रावधानुसार **"यदि सन्तान या नातेदार, यथास्थिति, वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण के लिये ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता, जैस कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान करने के लिये आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय–समय से निर्देश दे।"** चूंकि अपीलांट नगर परिषद से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है अतः भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण पर निर्भर नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 29.10.2024 पारित किया गया है, जो कि विधि सम्वत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 29.10.2024 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः अपील अपीलांन्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2024 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। रेस्पोडेन्टगण को इस आदेश से निर्देशित किया जाता है अपीलांट की सम्पत्ति बाबत किसी प्रकार का लडाई–झगड़ा नहीं करें। अपीलार्थी की स्वःअर्जित सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करने में रेस्पोडेन्टगण 1 लगायत 4 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नि से सोम्यता से पेश आये व उनकी देखभाल करे। इस आशय की लिखित अण्डर टेकिंग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ हाजा न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें, आदेश की तनिक भी अवहेलना होने पर अधिनियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लावें। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक .....2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर